न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 119/2025 बउनवानी लीला **बनाम** तहसीलदार वजीरपुर
निवासी ए–112 सी तपोवन विहार जगतपुरा जयपुर –302017
GCMS No-2025/ 254

Appeal Number- 321051606476246

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
1.10.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 16.8.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर ***" एसएचओ द्वारा दिनांक 5.2.2025 को प्रस्तुत इस्तगासे मे जारी सम्मन,सम्मन की तामील एवं इस्तगासे की प्रमाणित सूचना"*** तहसीलदार वजीरपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार वजीरपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः सूचना का अधिकार/2025/102 दिनांक 9.9.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 16.8.2025 के बिन्दु संख्या 2 मे चाही सूचना के संबंध में अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। शेष बिन्दु संख्या 1 व 3 की सूचना के लिए किसी भी कार्यालय दिवस मे उपस्थित होकर निर्धारित प्रतिलिपि शुल्क जमा करवाकर प्राप्त करने बाबत तहसीलदार वजीरपुर के पत्रांक 92 दिनांक 26.8.2025 से अपीलान्ट को लिखा गया था किन्तु अपीलान्ट द्वारा वांछित शुल्क जमा नही करवाने के कारण सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 16.8.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 2 के संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है किन्तु बिन्दु संख्या 1 व 3 की सूचना के लिए अपीलान्ट द्वारा शुल्क जमा नही करवाने के कारण सूचना उपलब्ध नही कारवायी गयी है। अतः अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि वांछित शुल्क जमा करवाकर चाही गयी सूचनाऐं तहसीलदार वजीरपुर के कार्यालय से प्राप्त करे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner